न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी श्री कन्हैयालाल स्वामी, आर.ए.एस.

अपील संख्या 98/2017

गिरधारी पुत्र हेमाराम जाति जाट निवासी 1 सिद्धुवाला तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर।

——अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व सूरतगढ। ——रेस्पोंडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 76 राज.भू–रा.अधि. 1956
विरूद्ध आदेश अतिरिक्त कलक्टर सूरतगढ दिनांक 19.04.2017 एवं तहसीलदार सरूतगढ दिनांक 10.03.2016

उपस्थितिः–

श्री शिशपाल शर्मा, अभिभाषक अपीलार्थी।
श्री श्याम सुन्दर चाण्डक राजकीय अधिवक्ता

निर्णय दिनांक 28/11/18

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि तहसीलदार सूरतगढ ने अपने आदेश दिनांक 10.03.2016 से अपीलांट को चक 1 एस.पी.डी. के मु.नं. 66/326, की 1.329है. भूमि पर अतिक्रमी मानते हुए बेदखल करने, तावान कायम करने के आदेश दिये हैं। उक्त आदेश की अपीलांट ने अति.कलक्टर सूरतगढ के समक्ष प्रथम अपील पेश की। अति.कलक्टर सूरतगढ ने अपने आदेश दिनांक 19.04.2017 से अपील अपीलांट खारिज कर दी। उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलांट ने यह अपील पेश की।

उभयपक्ष की बहस सुनी।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में मुख्य रूप से अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि विवादित भूमि पर अपीलांट का पुराना कब्जा काश्त चला आ रहा है एवं अपीलांट का पेशा काश्तकारी है एवं वह नियमन करवाने की पात्रता रखता है। ऐसी स्थिति में अधी. न्यायालय ने अपीलांट को अतिक्रमी मानते हुए जो आदेश दिया है वह उचित नहीं है। अपीलाधीन आदेश की जानकारी होने पर नकल प्राप्त कर बिना किसी देरी के अपील पेश कर दी, जिसके लिए मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रा.पत्र मय शपथ पत्र पेश किया

है। अतः अपील पेश करने में हुए विलम्ब को माफ करते हुए अपील अन्दर मियाद शुमार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलांट द्वारा राजकीय भूमि पर बतौर अतिक्रमी काबिज है। तहसीलदार ने अतिक्रमी मानते हुए जो आदेश दिया वह उचित होने से उसकी अपील भी अतिरिक्त कलक्टर सूरतगढ द्वारा खारिज की है वह उचित है। अतः अपील खारिज की जावे।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

अपीलांट द्वारा यह अपील आदेश दिनांक 19.04.2017 के विरूद्ध दिनांक 11.08.2017 को पेश की है जिसके लिए मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रा.पत्र मय शपथ पत्र पेश कर जो तथ्य अंकित किये हैं उनका खण्डन रेस्पों. द्वारा प्रत्युत्तर मय शपथ पत्र पेश कर नहीं किया है। ऐसी स्थिति में अपील पेश करने में हुए विलम्ब को माफ करते हुए अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

जहां तक प्रकरण के गुणावगुण का प्रश्न है? राजस्व रिकार्ड के अनुसार विवादित भूमि रकबा राज है, जिसपर अपीलांट का साधिकार कब्जा काश्त नहीं है। अपीलांट ने ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य न तो अधी. न्यायालय में पेश किया और न ही इस न्यायालय में पेश किया जिसके यह निष्कर्ष निकाला जा सके कि विवादित भूमि पर अपीलांट का साधिकार कब्जा काश्त हो। अपीलांट ने अपने अपील मीमों एवं बहस में जो बिन्दु उठाए हैं उनके सम्बन्ध में अधी.न्यायालय अति. कलक्टर सूरतगढ ने अपना विस्तृत विवेचन करते हुए सुस्पष्ट अभिमत व्यक्त किया है जो कि विधि अनुसार है। अधी. न्यायालय ने अपने निर्णय में स्पष्ट रूप से विवादित रकबा आराजी राज एस्केप के नाम दर्ज माना है जो कि उचित है। ऐसी स्थिति में तहसीलदार द्वारा अतिक्रमी मानते हुए जो आदेश दिया है वह उचित है एवं उसकी अपील भी अतिरिक्त कलक्टर द्वारा खारिज करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 28/11/18 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

28/11/18

(कन्हैयालाल स्वामी)
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगगांनगर